

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515008001005

सेवा में,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
मेरठ, इटावा, झाँसी, गाजीपुर, बहराइच, सोनभद्र, सन्तरविदासनगर, औरैया, सम्भल तथा हापुड़।

संख्या 1/416 / 2019-1/03/2019 :

लखनऊ:

दिनांक 02 दिसम्बर, 2019

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत के अधिष्ठान मद में अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-1005-क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी पंचायत) के अन्तर्गत मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक विशेष सचिव, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-13/2019/793/33-3-2019-100(3)/2017 दिनांक 08.04.2019 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षेत्र पंचायत के अधिष्ठान की मानक मदों में आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार रु०-64,79,187/- (रु० चौसठ लाख उन्चासी हजार एक सौ सत्तासी मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021/दस/2018-मित०-1/2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-1005-क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी पंचायत) अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
9. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

10. बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
11. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
12. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
13. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
14. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य-लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
15. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे-
1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 2. वर्ष 2019-20 में समर्पण यदि कोई हो तो उसकी सूचना दिनांक 20.02.2020 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-05 पर अंकित है।
संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/416/2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
 2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0, शासन।
 3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2, उ0प्र0, प्रयागराज।
 4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
 5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज।
 6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- ✓ 7. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020
आवंटन दिनांक-02/12/2019

प्रेषण संख्या:- 1-416-2019-1-03-2019
आवंटन आदेश संख्या:- 008-1-03-2019
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय

10 - ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन आदि के लिये व्यवस्था .

05 - क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ(ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	वर्तमान प्रगामी	01-वेतन	03-महगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	योग
1	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	258560 32380290	197851 5042428	0 518950	0 2054178	456411 39995846
2	इटावा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 24527680	0 3712112	0 162816	225800 1359000	225800 29761608
3	झाँसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	195040 23354748	35445 3535083	0 114369	0 1304185	230485 28308385
4	गाज़ीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	405000 64879822	39000 8125809	0 439300	572000 5254210	1016000 78699141
5	बहराइच-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	453857 45136332	132538 7612170	0 312758	0 3529216	586395 56590476
6	सोनभद्र-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	109050 21900544	7677 2622397	6720 442146	0 1848155	123447 26813242
7	संत रविदास नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	445450 30684241	468876 4653483	0 555870	0 2767756	914326 38661350
8	औरैया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 25702150	0 4076402	0 152322	13746 1538028	13746 31468902
9	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1200000 17587080	300000 2782661	0 323216	0 964919	1500000 21657876
10	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	686100 20666243	672682 2931350	53795 442033	0 1415721	1412577 25455347
	योग	वर्तमान प्रगामी	3753057 306819130	1854069 45093895	60515 3463780	811546 22035368	6479187 377412173

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौसठ लाख उन्नासी हजार एक सौ सत्तासी

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सैंतीस करोड़ चौहत्तर लाख बारह हजार एक सौ तिहत्तर

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

02-12-2019, 16:59